

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. गूठे पुत्र असीउल्ला नि० ग्राम धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-242/22, 02. सलमान अहमद पुत्र असगर अली नि० ग्राम धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-243/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हीरालाल पुत्र त्रिभुवन नि० ग्राम भुलभुलिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-287/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जावेद पुत्र शफी मोहम्मद नि० सकरौरा ग्रामीण थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-321/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रभु सोनकर पुत्र सिसई नि० गनेशपुर ग्रण्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-232/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 24.07.2022

थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत हुई मोटरसाईकिल लूट का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 02 अदद लूट/चोरी की मोटरसाईकिल व अवैध तमंचा कारतूस बरामद:-

दिनांक 17.07.2022 को मोटरसाईकिल पल्सर सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी संतोष कुमार मौर्य पुत्र राम भूलन मौर्य नि० राजापुर पो० दत्तनगर माफी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा की मोटरसाईकिल व लगभग 600 की नगदी रिस्तेदार के यहां निमंत्रण में जाते समय ग्राम खरिहा चौराहे के पास लूटकर फरार हो गए थे। वादी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में मु०अ०सं०-226/22 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में टीम लगाकर आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश थानाध्यक्ष इटियाथोक व प्रभारी एस०ओ०जी० को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक व एस०ओ०जी० की संयुक्त टीम ने लूट में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों-01. अजय ओझा, 02. विनय ओझा को दिनांक 23/24.07.2022 की रात्रि परासिया बहोरीपुर कब्रिस्तान के पास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गयी मोटरसाईकिल, एक अन्य चोरी की मोटरसाईकिल व अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया। अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी की जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त अजय ओझा के पैर में गोली लग गयी। अभियुक्त अजय ओझा का पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल गोण्डा में ईलाज चल रहा है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अजय ओझा पुत्र रामचन्द्र नि० बैरागीजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. विनय ओझा पुत्र रामचन्द्र नि० बैरागीजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त अजय ओझा का अपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं० 226/22 धारा 392,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-244/22, धारा 307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-245/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अभियुक्त विनय ओझा का अपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं०-500/21, धारा 394,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
02. मु०अ०सं०-550/21, धारा 392,411 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

03. मु0अ0सं0-76/22, धारा 147,148,149,352,323,504,506,324 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
04. मु0अ0सं0 226/22 धारा 392,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
05. मु0अ0सं0-244/22, धारा 307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
06. मु0अ0सं0-245/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

बरामदगी:-

01. 01 अदद मोटरसाईकिल एच0एफ0 डीलक्स (लूट)
02. 01 अदद मोटरसाईकिल अपाचे (चोरी की)
02. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

01. थानाध्यक्ष इटियाथोक करुणाकर पाण्डेय मय टीम ।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 अमित कुमार मय टीम ।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.07.2022

थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत हुई शिक्षिका अपहरण काण्ड के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:—

दिनांक 16.07.2022 को थाना नवाबगंज क्षेत्र से एक शिक्षिका का अपहरण हुआ था। अपहृता के माता की तहरीर पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0-277/22, धारा 364 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में टीम लगाकर आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश थानाध्यक्ष नवाबगंज को दिए थे।

विवेचना के दौरान अपहृतकर्ता के दो सहयोगियों-01.गोलू उर्फ विजय शंकर, 02. पवन दुबे का नाम नाम प्रकाश में आया था। जिनको दिनांक 23.07.2022 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 अदद सफारी गाड़ी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:—

01. गोलू उर्फ विजय शंकर पाण्डेय पुत्र हरि श्याम पाण्डेय नि0 महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. पवन दुबे पुत्र धर्मराज दुबे नि0 नलकूप नंबर 5 सामने बेगमपुरा अयोध्या थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु0अ0सं0-277/22, धारा 364, 120बी भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद घटना में प्रयुक्त सफारी गाड़ी।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- उ0नि0 सुनील कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.07.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अमित कुमार चौबे उर्फ चिंटू चौबे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अमित कुमार चौबे उर्फ चिंटू चौबे पुत्र फागू नि0ग्राम कटहा चौबे पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-266/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 अशोक सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
दिनांक 24.07.2022

चोरी / छिनैती के व अनुपयुक्त 369 मोबाइल बरामद, 05 अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अपराध लक्ष्मीकान्त गौतम के नेतृत्व में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्ष व साइबर सेल को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में साइबर सेल व थाना को० देहात की संयुक्त टीम द्वारा साइबर अपराध में सहयोग करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों— मो० फिजूल शेख, 02. सफीरूल शेख, 03. जब्बार उल मेला, 04. हबीबुल शेख, 05. विकास उर्फ गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी/छिनैती के 369 अदद एण्ड्राएड, मल्टीमीडिया व कीपैड फोन व टेबलेट विभिन्न कम्पनियों के बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग सस्ते दाम पर लोगो से चोरी के व पुराने मोबाइल खरीदते हैं और यहाँ उसके पार्ट्स अलग कर पश्चिम बंगाल ले जाकर पुनः असेम्बल कर महंगे दामो में बेचते हैं वहाँ पर जो लोग खरीदते हैं वह अपना नाम पता नहीं बताते हैं परन्तु वह लोग इन मोबाइलों का पुनः उपयोग कर कॉल कर व भिन्न-भिन्न तरीको से लोगों के बैंक डिटेल की जानकारी करके उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:—

01. मो० फिजूल शेख पुत्र नाजिर शेख उम्र करीब 27 वर्ष निवासी इलियट नगर, झोबवना, रमनापुर चाँदपुर थाना नोवदा जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल।
02. सफीरूल शेख पुत्र सहीदुल शेख उम्र 22 वर्ष निवासी सबदर नगर आलमपुर थाना नोवदा जिला मुर्शिदाबाद।
03. जब्बार उल मोला पुत्र रकीब मोला उम्र 28 वर्ष निवासी इलियट नगर केदारचन्दपुर थाना नोवदा जिला मुर्शिदाबाद।
04. हबीब उर शेख पुत्र आंगूर शेख उम्र करीब 20 वर्ष निवासी काजी शाह चिड़ीभीजी थाना वेलडोंगा जिला मुर्शिदाबाद प० बंगाल।
05. विकास उर्फ गयासुद्दीन पुत्र वजीर अली उम्र 35 वर्ष निवासी काजी साह चिड़ीभीजी थाना वेलडोंगा जिला मुर्शिदाबाद।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०-290/22 धारा 411, 413, 414, 419, 420 भादवि व 66, 66बी आई०टी०एक्ट थाना को० देहात गोण्डा।

बरामदगी:—

01. 369 अदद मोबाइल।

अनावरण कर्ता टीम—

01. उ०नि० सर्वजीत गुप्ता थाना को० देहात।
02. आ० हरि ओम टण्डन साइबर सेल।
03. आ० मनीष कुशवाहा साइबर सेल।

गिरफ्तारी कर्ता टीम—

- प्र०नि० श्री कमलाकान्त त्रिपाठी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.07.2022

गौवध निवारण अधि० का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध शस्त्र रखने/विक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मो० समी उर्फ मो० समीम उर्फ कोयले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना कटराबाजार के मु०अ०सं०-42/22, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि०, 11 पशु क्रूरता अधि में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मो० समी उर्फ मो० समीम उर्फ कोयले पुत्र जलील नि० जयरामजोत मंगरेपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-239/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० मो० सरफराज खान मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.07.2022

छेडछाड का वांछित अभियुक्त मिशनशक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त शहबान उर्फ शाबान को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ के साथ छेडछाड किया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार कर्ता:-

01. शहबान उर्फ शाबान पुत्र मो० हारून नि० मसकनवां गांव थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-179/22, धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता:-

उ०नि० सुनील कुमार तिवारी मय टीम।